

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 12.11.2022

ट्रैक्टर की बैट्री चोरी करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अदद चोरी की बैट्री बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर के मार्ग दर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में, जनपद में हो रही चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु प्र०नि० थाना खोराबार व उनकी टीम को लगाया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 11.11.2022 को मुखबिर की सूचना पर थाना खोराबार की टीम द्वारा एक संदीग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो अपना अलाउद्दीन उर्फ आयुष पुत्र कुर्बान अली उर्फ नागा निवासी नई बाजार भिसवा थाना झंगहा जनपद गोरखपुर बताया। जिसके कब्जे से बोरी के अन्दर 02 अदद ट्रैक्टर की बैट्री बरामद हुआ, जो मु०अ०सं०-709/22 धारा 379 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर की चोरी से संबंधित बैट्री तस्दीक हुई जिसका कागजात अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका तथा बताया गया कि दिनांक 08.11.2022 को उसके द्वारा यह दोनों बैट्री ग्राम रामपुर उर्फ रामगढ़ से ट्रैक्टर में से चुरायी गयी थी जिसे बेचने के लिये जा रहा था। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त: -

अलाउद्दीन उर्फ आयुष पुत्र कुर्बान अली उर्फ नागा निवासी नई बाजार भिसवा थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी-

02 अदद चोरी की ट्रैक्टर की बैट्री

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण:-

मु०अ०सं० 709/2022 धारा 379,411 भा०द०वि० थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम:-

1. उ०नि० गजेन्द्र बहादूर सिंह थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. कां० अजय कुमार सिंह खोराबार जनपद गोरखपुर
3. कां० राघवेन्द्र कुमार दुबे थाना खोराबार जनपद गोरखपुर